


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012 दिनांक-27.03.17 में उनके नाम के सम्मुख निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-


क्रम सं.	नाम आशार्थी मय पदस्थापन स्थान (सर्वश्री)	आदेश क्रम संख्या	वांछित संशोधन
1	शशिकान्त गुप्ता, (प्रधानाचार्य), राउमावि, रूधइकरन, सेवर (भरतपुर)	114	पूर्व में मुद्रित जन्म तिथि 01.11.1965 के स्थान पर जन्म तिथि 01.11.1964 पढा जावे।
2	उषा दीवानी राउमावि, गैटोर, जयपुर	74	पूर्व में मुद्रित डीपीसी वर्ष में तदर्थ के स्थान पर डीपीसी वर्ष 2013-14 पढा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक:- 11.5.17

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/ 2012 | 23
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक)
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- ✓ 5 सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- 6 संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित प्राध्यापक द्वारा संस्था प्रधान।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर